न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1100–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–03–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 16/अपील/2012–13.

1–केशव सिंह,
2–लायकसिंह
3–फतेहसिंह पुत्रगण गबदेसिंह
निवासी ग्राम बरूआ नूराबाद परगना व जिला
ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–बलवीरसिंह
2–साहबसिंह पुत्रगण फतेहसिंह
3–कुशुमदेवी पत्नी स्व0श्री फतेहसिंह
निवासी ग्राम गुढ़ी परगना व जिला
ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एस0पी0धाकड एवं श्री सुनीलसिंह जादौन अभिभाषक,–अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 12–03–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बरूआ नूराबाद में स्थित कृषि भूमि पर विचारण न्यायालय द्वारा पंजी कमांक 6 पर पारित आदेश दिनांक 16–7–1982 के द्वारा आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया था । तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–1982 से व्यथित होकर अनावदेकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–14 से प्रकरण अंतिम तर्क के लिये नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही आधार उठाया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में किये गये नामान्तरण आदेश दिनांक 16–7–82 के विरूद्ध वर्ष 2012 में अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के संबंध में सुनवाई की जानी चाहिये थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा न कर प्रकरण दिनांक 12–3–14 को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया, जो अनुचित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर सर्वप्रथम धारा 5 व धारा 32 के आवेदन पत्र के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में किया गया नामान्तरण आदेश ही गलत है । आवेदकगण द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि तहसील न्यायालय से किस आधार पर नामान्तरण कराया गया है । विचारण न्यायालय का आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही की जा रही है । अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–82 के विरूद्ध दिनांक 12–11–12 को प्रथम अपील लगभग 29 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदकण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय में अनावेदकगण पक्षकार नहीं थे अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेने के पश्चात् ही अपील प्रस्तुत कर सकते हैं । अनुविभागीय अधिकारी की आदेशिकाओं को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र एवं संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का बिना निराकरण किये प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12–3–14 निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 एवं संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर विधिवत् निराकरण किया जाये तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर